

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1022

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)

1022 श्री राजेश नारणभाई चुडासमा:
श्रीमती वीणा देवी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत राज्य/जिला/स्थान-वार विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र में कितनी सड़क परियोजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित की गई हैं;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ के अंतर्गत निधियों के आवंटन के मानदंडों और सीआरआईएफ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को वार्षिक रूप से आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित छोटे और घनी आबादी वाले राज्यों को न्याय प्रदान करने के लिए सड़क नेटवर्क की सीमा को महत्व देते हुए संशोधन करने अथवा ईंधन खपत के वेटेज में वृद्धि करते हुए सीआरआईएफ के आवंटन में संशोधन करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए राज्य सड़क परियोजनाओं के प्रस्तावों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण, जिसमें बिहार और महाराष्ट्र राज्य भी शामिल हैं, अनुबंध- 1 पर हैं। प्रस्तावों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अंतिम रूप दिया जाता है, जिला/स्थान-वार नहीं।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 की धारा 7क के संशोधित प्रावधान के अनुसार निधि आबंटित की जाती है। तदनुसार, सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को निधियां आबंटित की जाती हैं। विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ ईंधन की खपत के 30 प्रतिशत महत्व और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर निधियों के आबंटन का प्रावधान है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के उपार्जन और जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के संबंध में श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा और श्रीमती वीणा देवी द्वारा पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के तहत बिहार और महाराष्ट्र राज्यों सहित राज्यीय सड़क परियोजनाओं के लिए प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:-

लंबाई किमी में, लागत करोड़ रुपये में				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाएं और पूर्ण परियोजनाएं		
		सं.	लंबाई	लागत
2018-19				
1	आंध्र प्रदेश	41	693.26	843.24
2	असम	2	23.67	70.7
3	बिहार	27	390.64	1151.06
4	छत्तीसगढ़	12	211.45	612.72
5	गुजरात	54	1067.56	1560.65
6	हिमाचल प्रदेश	26	290.26	466.36
7	झारखंड	4	109.58	507.64
8	केरल	56	702.7	801
9	मध्य प्रदेश	18	293.36	1190.91
10	महाराष्ट्र	52	501.25	2581.24
11	मेघालय	44	269.24	321.88
12	मिजोरम	1	20	49.11
13	ओडिशा	30	566.52	1261.97
14	पंजाब	38	712.91	464.6
15	राजस्थान	24	366.27	693.59
16	सिक्किम	14	49.07	90.07
17	तमिलनाडु	71	624.79	1996.4

लंबाई किमी में, लागत करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाएं और पूर्ण परियोजनाएं		
		सं.	लंबाई	लागत
18	तेलंगाना	54	668.48	800
19	त्रिपुरा	17	135.95	91.92
20	उत्तर प्रदेश	77	995.83	1826.48
21	उत्तराखंड	33	222.79	508.77
22	पश्चिम बंगाल	8	151.3	592.77
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	61	43.49	57.68
24	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	20	43.29	62.86
25	दिल्ली	1	0	42.21
26	जम्मू और कश्मीर	15	183.81	266.12
27	लद्दाख	4	19	54.77
28	पुडुचेरी	4	36.91	31.23
2019-20				
1	मणिपुर	13	145.29	131.85
2	उत्तराखंड	2	0	174.07
2020-21				
1	आंध्र प्रदेश	46	675.58	945.9
2	असम	13	200.81	606.27
3	बिहार	1	2.15	204.95
4	मध्य प्रदेश	1	107	153.62
5	महाराष्ट्र	276	2262.56	2230.74
6	पंजाब	12	144.16	211.22
7	राजस्थान	32	530.56	723.53

लंबाई किमी में, लागत करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाएं और पूर्ण परियोजनाएं		
		सं.	लंबाई	लागत
8	त्रिपुरा	1	16	15.87
9	उत्तराखंड	3	0	2776.59
10	पश्चिम बंगाल	7	135.78	482.78
2021-22				
1	अरुणाचल प्रदेश	27	294.31	553.48
2	छत्तीसगढ़	15	315.72	846.02
3	गोवा	6	75.09	80.51
4	हरियाणा	1	24.1	99.14
5	हिमाचल प्रदेश	13	94.02	237.95
6	मध्य प्रदेश	24	600	1893
7	महाराष्ट्र	276	1597	2231
8	मेघालय	15	127.31	256.6
9	मिजोरम	1	10.25	46.57
10	ओडिशा	35	619.01	1726.8
11	पंजाब	5	24.21	272.02
12	राजस्थान	81	1607.26	2045.61
13	तेलंगाना	48	611.51	878.55
14	उत्तराखंड	42	370	615.48
15	लद्दाख	17	422.41	297.24
16	पुडुचेरी	4	41.27	33
2022-23				
1	आंध्र प्रदेश	37	391.2	1,269.94

लंबाई किमी में, लागत करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाएं और पूर्ण परियोजनाएं		
		सं.	लंबाई	लागत
2	अरुणाचल प्रदेश	3	0	32.64
3	बिहार	27	121.84	1,541.81
4	छत्तीसगढ़	6	0	314.89
5	हरियाणा	11	278.56	724.46
6	हिमाचल प्रदेश	1	0	103.31
7	झारखंड	17	215.68	1,128.22
8	कर्नाटक	22	0	784.5
9	केरल	37	403.25	673.14
10	मध्य प्रदेश	39	625.74	3,046.73
11	महाराष्ट्र	146	943.23	1,859.46
12	पंजाब	20	372.39	526.09
13	ओडिशा	6	0	360.5
14	राजस्थान	14	0	673.65
15	तमिलनाडु	51	102.94	1,001.76
16	तेलंगाना	5	0	432.84
17	उत्तर प्रदेश	17	80	1,095.00
18	उत्तराखंड	6	0	193.92
19	पश्चिम बंगाल	14	345.64	997.07

केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के संबंध में श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा और श्रीमती वीणा देवी द्वारा पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ स्कीम के अंतर्गत राज्याय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के उपार्जन और जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है:-

राशि करोड़ रुपये में											
क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन **	निर्गमन **
1	आंध्र प्रदेश	330.27	326.88	349.64	350.08	325.54	322.00	334.96	300.80	380.19	356.55
2	अरुणाचल प्रदेश	127.91	108.39	133.20	126.61	125.48	42.03	128.39	128.33	147.65	183.63
3	असम	140.97	255.92	149.03	149.03	140.74	220.81	143.80	77.51	169.64	122.82
4	बिहार	197.71	101.49	210.35	223.16	195.30	425.93	201.16	447.06	226.47	226.47
5	छत्तीसगढ़	243.02	214.02	254.60	371.61	237.50	234.92	245.74	230.29	281.12	86.92
6	गोवा	15.40	17.47	15.67	7.29	14.43	0.00	13.41	0.00	16.26	0.00
7	गुजरात	429.28	531.19	451.33	718.87	424.68	430.74	434.06	725.29	509.31	249.12
8	हरियाणा	185.06	80.93	185.10	200.77	167.73	78.54	177.05	163.71	197.73	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	98.98	92.56	103.27	87.12	97.27	95.95	99.74	188.01	117.73	169.05
10	झारखंड	160.40	63.33	171.07	137.67	160.88	78.77	164.33	40.79	184.96	81.56
11	कर्नाटक	450.54	508.39	476.84	382.57	439.77	434.99	443.11	442.90	513.13	465.27
12	केरल	136.74	122.85	140.54	0.00	132.26	273.99	126.77	126.71	147.19	133.46
13	मध्य प्रदेश	551.98	625.70	579.67	693.25	541.01	535.13	556.21	622.93	632.99	573.96
14	महाराष्ट्र	681.41	780.42	728.84	629.83	683.27	675.84	683.80	390.27	783.19	1,084.15
15	मणिपुर	36.14	12.95	38.00	12.64	35.85	13.22	36.60	13.43	42.10	13.81
16	मेघालय	41.04	28.53	43.34	29.10	40.81	76.93	40.63	90.55	47.51	43.08
17	मिजोरम	33.06	23.40	34.55	34.55	32.56	32.28	33.14	22.06	38.20	10.96

राशि करोड़ रुपये में

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन **	निर्गमन **
18	नागालैंड	26.70	54.70	27.87	9.29	26.44	37.41	27.02	27.00	31.31	28.39
19	ओडिशा	293.08	111.93	308.94	286.96	289.54	534.19	298.67	535.07	340.95	313.52
20	पंजाब	158.35	170.11	159.60	259.37	148.77	141.18	149.41	193.35	176.96	106.84
21	राजस्थान	644.38	591.86	669.01	415.17	622.71	141.81	627.89	148.40	715.82	906.62
22	सिक्किम	12.21	16.76	12.89	4.29	12.09	3.98	12.06	25.78	14.09	17.04
23	तमिलनाडु	367.76	416.88	379.65	262.37	352.04	503.17	350.32	350.15	402.67	377.63
24	तेलंगाना	263.99	279.08	276.37	234.06	256.08	253.29	262.01	261.88	304.27	275.89
25	त्रिपुरा	18.44	3.44	19.13	22.03	17.89	48.84	18.49	33.76	21.23	19.42
26	उत्तर प्रदेश	578.63	655.91	624.31	541.09	582.69	576.36	616.59	616.29	702.42	658.75
27	उत्तराखंड	99.05	85.80	103.98	42.58	97.23	61.34	98.85	98.80	114.01	378.17
28	पश्चिम बंगाल	212.57	138.33	224.70	451.67	209.20	136.11	213.97	287.06	240.31	217.90
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.01	20.52	20.22	6.74	15.12	15.12	15.17	10.08	17.49	15.81
30	चंडीगढ़	5.62	0.00	5.65	0.00	6.16	0.00	4.76	0	6.55	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	4.52	0.00	4.57	4.57	5.61	5.61	4.80	2.38	5.74	0.31
32	दमन और दीव	2.77	0.00	2.80	0.00						
33	दिल्ली	62.49	0.00	59.99	0.00	34.15	0.00	27.20	0	32.06	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	348.87	344.75	137.85	152.96	94.51	79.40	96.91	321.18	113.61	343.61
35	लद्दाख			103.82	17.36	246.22	96.95	250.83	0.00	289.06	83.44

राशि करोड़ रुपये में											
क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन	निर्गमन *	उपचयन **	निर्गमन **
36	पुडुचेरी	12.51	0.00	12.01	4.00	8.47	8.47	7.39	5.18	10.39	7.83

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से राज्य के प्रोद्भवन से अधिक जारी की गई हैं।

**सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्तीय सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आबंटित/जारी की गई निधियों सहित।
